पत्रांक : 01/ व 1–05/2004 1382

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

विषय :– झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अवस्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)/शारीरिक शिक्षा संस्थानों (सी0 पी0 एड0, बी0 पी0 एड0 सहित) तथा निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी0 एड0, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) में नामांकन प्रक्रिया का निर्धारण ।

1. राज्य सरकार राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं प्रसार हेतु कृतसंकल्प है, तथा अन्य राज्यों की भांति शैक्षिक उन्नयन, विकास एवं प्रसार हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाये गये है।

2. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प संख्या 6/द 1–287/2001–793 दिनांक 17.03.2003 के आलोक में राज्य के चार राजकीय महाविद्यालय, राँची, देवघर, हजारीबाग एवं रा0 महिला शि0 प्र0 महाविद्यालय, अरियातु, राँची में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता के आधार पर शैक्षिक सत्र 2002–2003 के लिए प्रत्येक महाविद्यालयों में 100 छात्र/छात्राओं की नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर (एन0 सी0 टी0 ई0) द्वारा उनके पत्रांक जा0 एच0 एस0 / एन0–7/2001/1924 दिनांक 24.09.2003 के द्वारा सूचित किया गया है कि एक बार मान्यता मिलने के बाद एन0 सी0 टी0 ई0 द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की मान्यता आगे भी जारी रहेगी।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या फा0 स0 9–18/2002 रा0 अ0 शि0 प0, दिनांक 13.11.2002 एवं फा0 फं0 सं0 48–6/2003 रा0 अ0 शि0 प0 (एन एड एस) दिनांक 6.6.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के चारो बी0 एड0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु नामांकन प्रारंभ के साथ ही राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय

समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी० एड०, प्राथमिक शिक्षक
प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) में नामांकन हेतु योग्यता, चयन प्रक्रिया,
अग्रसीमा नामांकन शुल्क, पाठ्यक्रम, सीटों के बँटवारा की प्रक्रिया में एकरूपता बनाए
रखने की अपरिहार्यता के तहत राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

1\. **नामांकन** : उपर्युक्त कंडिका 3 में, अंकित प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन पूर्णतः मेधा सूची के आधार पर होगा। यह मेधा सूची राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु प्रावधानित आरक्षण के अनुरूप सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु० जा० जा०/अनु० जा० के लिए अलग अलग तैयार की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्गों के आवेदकों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (अभिप्रमाणित फोटो प्रति) संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। महिला प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों में मात्र महिला उम्मीदवार ही नामांकन के पात्र होंगे।

2\. **चयन समिति** :

क. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी० एड० कोर्स में नामांकन हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी :-

(i)	क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	प्राचार्य/प्राचार्या संबंधित राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	संयोजक सदस्य
(iii)	संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य

ख. राजकीय प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (जिला प्रशिक्षण संस्थानो सहित) में नामांकन हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी -

(i)	प्रमंडलान्तर्गत अथवा निकटस्थ अवस्थित राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक	सदस्य
(iii)	संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या	संयोजक सदस्य

ग. निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी० एड०, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) में सम्बन्धित महाविद्यालय की प्रबंध समिति एन. सी. टी. ई. ... द्वारा निर्धारित मापदण्डों के

चयन समिति एन. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित सीटों के विरुद्ध नामांकन हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मेधा सूची, संकाय एवं कोटिवार तैयार करेगी। मेधा सूची के अतिरिक्त संकायवार प्रतीक्षा सूची भी होगी। यदि चयनित सूची के उम्मीदवार निर्धारित अवधि के अन्दर नामांकन हेतु अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को क्रमानुसार संकायवार/कोटिवार आमंत्रित किया जाएगा। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची पर अध्यक्ष, संयोजक एवं समिति के प्रत्येक सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

यह सूची मात्र उसी शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगी तथा अगले शैक्षणिक सत्र के लिए इस चयन सूची/प्रतीक्षा सूची को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।

प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु अभ्यर्थियों की वांछित शैक्षणिक योग्यता :

क. एक वर्षीय बी० एड० प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए :-

एक वर्षीय बी० एड० प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने पात्र होंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर दो स्कूल विषयों सहित कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। 50% general 45% Reserved

ख. दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए :-

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से कम से कम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा पास हो। 50%

ग. दो वर्षीय शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रमाण पत्र (सी० पी० एड०) के लिए :-

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रमाण पत्र (सी० पी० एड०) कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त हो। जिन प्रत्याशियों ने राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनके मामले में उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) में अंकों का प्रतिशत कम से कम 40 होना चाहिए।

घ. एक वर्षीय बी० पी० एड० (बैचलर ऑफ फिजिकल एजूकेशन कार्यक्रम के लिए) बी० पी० एड० कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे जो शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक पाठ्यक्रम अर्थात बी० पी० ई० अथवा उसके समतुल्य परीक्षा पास की हो.

अथवा

ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद / एथलेटिक्स में राज्य / विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक जिसने अन्तः कॉलेज / खेलकूद प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा, अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, जिसके पास एन० सी० सी० 'सी' प्रमाण पत्र हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलों में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक जिसने खेदकूद, विज्ञान, खेलकूद प्रबंध खेलकूद कोचिंग, योग, ओलम्पिक शिक्षा, खेलकूद, पत्रकारिता आदि में एक वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया हो।

ङ) चयन समिति विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर चयन के लिए प्रणाली मेधांक की गणना निम्न प्रकार करेगी :--

1. मैट्रिक : – द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर 5 अंक 5
प्राप्तांक – 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि 6
प्राप्तांक – 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि 7
प्राप्तांक – 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि 8
प्राप्तांक – 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि 9
प्राप्तांक 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि 10
कुल मिलाकर 10 अंक (5+5)

2. इंटर : – द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर 5 अंक
प्राप्तांक – 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक – 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक – 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक – 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक – 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि
कुल मिलाकर 10 अंक (5+5)

3. स्नातक पारा कोर्स — द्वितीय श्रेणी एवं उसके ऊपर 5 अंक

प्राप्तांक — 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि

कुल मिलाकर 10 अंक (5+5)

4. स्नातक प्रतिष्ठा — द्वितीय श्रेणी एवं उसके ऊपर 10 अंक

प्राप्तांक — 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि

कुल मिलाकर 15 अंक (10+5)

5. स्नातकोत्तर — द्वितीय श्रेणी एवं उसके ऊपर 5 अंक

प्राप्तांक — 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि

प्राप्तांक — 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि

कुल मिलाकर 10 अंक (5+5)

प्रवेश हेतु कुल मेधांक — 45

एन0 सी0 सी0 — बी0 सर्टिफिकेट — 2 अंक

एन0 सी0 सी0 — सी0 सर्टिफिकेट — 3 अंक

खेलकूद में जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो — 3 अंक

खेलकूद में जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किया हो — 5 अंक

कुल मिला के 45 + 5 = 50 अंक

कुल मेधांक समान रहने पर उच्चतर शैक्षिणक योग्यताधारियों को नामांकन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सभी कुछ समान हुए तो जिस उम्मीदवार की जन्म तिथि पूर्व की हो उन्हें जन्म तिथि के आधार पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

5. आवासीय — केवल वे ही आवदेक प्रवेश पा सकते है जो :

(i) वे झारखण्ड की भौगोलिक सीमा में पैदा हुए हो अथवा

(ii) क. वे,

ख. उनके पालकों (Parents) में से कोई—

ग. उनके पालकों (Parents) में से कोई जीवित न हो तो उनके वैध अभिभावक (Parents) झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में निरन्तर कम से कम 15 वर्षो से रह रहे हों अथवा

(iii) उनके पालको (Parents) में से कोई भी

क. झारखण्ड राज्य शासन में सेवारत हो या सेवा निवृत कर्मचारी हों अथवा

ख. जिनके पालको (Parents) में से कोई भी भारत सरकार के कर्मचारी हों और प्रतिनियुक्ति पर झारखण्ड राज्य में या झारखण्ड में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों / संस्थानों के कर्मचारी हों अथवा

(iv) क. वे स्वयं,

ख. उनके पालकों (Parents) में से कोई भी झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में पिछले 5 वर्षो से कोई अचल संपत्ति / उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हों।

(v) अ. उसने अपनी शिक्षा झारखण्ड के किसी भी शिक्षण संस्थान में कम से कम 7 वर्षों तक प्राप्त की हो अथवा

ब. यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा,

(i) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की हो।

(ii) झारखण्ड को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान एवं उनकी पत्नी / पति हों।

(iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति की पत्नी/पति हो।

(iv) आवेदक के पिता मूल निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आते है, और यदि वह सैनिक सेवा के कारण झारखण्ड में पदस्थापित नहीं हो सका है तो वे आवेदन के योग्य होंगे भले ही उसने राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा नहीं प्राप्त की हो, यह सुविधा केवल सैनिक सेवा अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।

(v) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण पत्र में छूट अनुमान्य होगी।

(vi) वैसे अभ्यर्थी जो कश्मीर से आए हुए विस्थापित परिवारों के हो तथा जिनके पालको (Parents) में से कोई भी झारखण्ड में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हो;

(vii) झारखण्ड के माननीय सांसदों/पूर्व सांसदों/विधायकों/पूर्व विधायकों/पूर्व पार्षदों एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आलोक में झारखण्ड राज्य के पार्षदो के पुत्र/पुत्रियाँ हो;

(viii) इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उन्हीं आवेदकों को जारी किया जाएगा जो किसी अन्य राज्य के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से अच्छादित न हों।

6. **उम्र सीमा :**

इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 1ली जुलाई को की जाएगी। अर्थात शैक्षणिक सत्र 2004–2005 के लिए उम्र 1ली जुलाई से 18 वर्ष होगी।

7. **राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी0 एड0) एवं राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में नामांकन शुल्क :**

नामांकन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के यहाँ जमा किए जाएंगे। इसके साथ 100 रू0 (एक सौ रूपए) सामान्य कोटि के अभ्यार्थियों के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 30 (तीस रूपए) का शुल्क देय होगा। यह शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के पदनाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थानीय प्रधान शाखा में भुगतेय होगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बायें कोने पर आवेदक का नाम

यहाँ निर्धारित तिथि तक जमा होगा। नामांकन के समय सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से 3,000 (तीन हजार रूपये) तथा अ0 जाति/अ0 जन जाति के उम्मीदवारों से 1,000 (एक हजार) लिया जाएगा। इसी तरह परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के समय सामान्य कोटि के उम्मीदवारो से पुनः 1,500 (एक हजार पाँच सौ रूपये) लिए जाएगे एवं एस टी/एस सी के उम्मीदवारो से 500 (पाँच सौ रूपये) लिये जाएगें।

इसके अतिरिक्त सभी कोटि के नामांकित उम्मीदवारों से प्रतिमाह निम्नांकित शुल्क लिए जाएगे।

(क) छात्र कोष –

~~(क)~~	(i) क्रीड़ा	–	100.00 (प्रति माह)
	(ii) कामन रूम	–	100.00 (प्रति माह)
	(iii) विद्युत प्रभार एवं अन्य व्यय	–	100.00 (प्रति माह)
(ख)	शिक्षण शुल्क	–	200.00 (प्रति माह)
	कुल	–	500.00 (पाँच सौ रूपये)
(ग)	महाविद्यालय विकास कोष	–	1,000.00 (प्रशिक्षण अवधि में एक बार)

नामांकित उम्मीदवारो से प्राप्त राशि संबंधित महाविद्यालयों/डायट के प्राचार्य/प्राचार्या के पदनाम से एक खाते में जमा रहेगी तथा जिन मदो के लिए राशि ली जा रही है उसी मद में व्यय नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जायेगा। विकास कोष एवं छात्र कोष की राशि के व्यय के लिए महाविद्यालय में एक प्रबन्ध समिति निम्न रूपेण गठित होगी।

प्राचार्य/प्राचार्या	अध्यक्ष
संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक	सदस्य
वरीयतम व्याख्याता	सदस्य
प्रशिक्षणार्थी प्रतिनिधि	सदस्य

प्रवेश शुल्क एवं मासिक शिक्षण शुल्क की राशि चलान द्वारा 3202 सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत कोषागार में प्राचार्य के द्वारा प्रतिमाह जमा की जाएगी।

सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एन0 सी0 टी0 ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क का निर्धारण का कार्य

एवं प्रावैधिकी विभाग के संकल्प ज्ञाप संख्या 134 दिनांक 30.01.2004 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी।

8. उत्प्रेषण की शर्तें :

नामांकन हो जाने पर नामांकित छात्र/छात्राओं को उत्प्रेषण की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें उत्प्रेषित (Sent-up) नहीं किया जाएगा और अगले सत्र में उनका पुनर्नामांकन भी नहीं होगा अर्थात अगले सत्र के लिए वे सामान्य आवेदन ही माने जाएगें।

9. पाठ्यक्रम :

सभी तरह के प्रशिक्षण कार्य हेतु एन0 सी0 टी0 ई0 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगें।

10. संकाय बार सीटों का बँटवारा : प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (बी0 एड0) में सीटों का बँटवारा निम्नवत् रहेगा :

(1) भाषा – (हिन्दी – 10%
अंग्रेजी – 10%
संस्कृत, अरबी, फारसी, हो, मुंडारी, संताली, उराँव आदि एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ–5%).

(2) कला संकाय – (भाषा रहित)

इतिहास	-	10%
भूगोल	-	10%
नागरिकशास्त्र एवं अर्थशास्त्र	-	10%
वाणिज्य एवं गृह विज्ञान	-	5 %

(3) विज्ञान संकाय –

भौतिकी	–	10%
रसायन	–	10%
जीव विज्ञान	–	10%

(4) गणित – 10%

नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद जो भी आवेदन प्राप्त होगें उन पर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य प्राप्ति तिथि अंकित कर हस्ताक्षर करेगें तथा पंजी में संधारित करायेंगे. ... संधारित किए जाने की जिम्मेवारी संबंधित प्राचार्य की

होगी। मेरिट लिस्ट और प्रतीक्षक सूची यथा उपरोक्त संकायो के आधार पर अलग-अलग तैयार की जाएगी तथा नामांकन के कॉल लेटर मेरिट के आधार पर भेजे जाएगें। इसके लिए आवदेन अपने आवदेन पत्र के साथ एक 23 x 10 सी0 एम0 के लिफाफे पर अपना पत्राचार का पता निबंधन मूल्य के स्टाम्प के साथ संलग्न करेगें।

नामांकन के समय जो उम्मीदवार प्राप्त योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र की मूल प्रति समर्पित नहीं कर सकेगें, वे इस आशय का वैधिक शपथ पत्र दाखिल करेगें कि नामांकन की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर वे मूल प्रति प्रस्तुत कर देगें अन्यथा उनका औपबंधिक नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा।

जिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में चयनित उम्मीदवार का नामांकन होगा उन्हें उसी महाविद्यालय में प्रशिक्षण पूरा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में उनका स्थानान्तरण किसी अन्य महाविद्यालय में नहीं होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराया जाए।

2. यह संकल्प तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक कुमार सिंह)

आयुक्त एवं सचिव

प्रा0 मा0 एवं उच्च शिक्षा विभाग

झारखण्ड, राँची

दिनांक : 26/5/04

ज्ञापांक 01/91-05/2004 1252

प्रतिलिपि :- अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उससे अनुरोध है कि इसकी पाँच सौ अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार सिंह)

आयुक्त एवं सचिव

प्रा0 मा0 एवं उच्च शिक्षा विभाग

झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 01/-91-05/2004 1382 दिनांक : 20.5.04

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, मा० शि०/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.5.2004

(अशोक कुमार सिंह)
आयुक्त एवं सचिव
प्रा० मा० एवं उच्च शिक्षा विभाग
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 1383 राँची, दिनांक- 20.5.04

प्रतिलिपि-प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राँची/देवघर/हजारीबाग/राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, बरियातु, राँची/प्राचार्या, वेथेस्दा, महिला शिक्षक प्रशिक्षण (बी०एड०) महाविद्यालय, लोअर बाजार राँची/लोयला कालिज ऑफ एडूकेशन, खिर ट्यू एरिया-टेल्को वर्क्स जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम/ उर्सुलाइन महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लोहरदग्गा/अल एकरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बैरियो, सरकार डीह, धनबाद/एस०पी०जी० प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय वर्ष रोड राँची/उर्सुलाइन प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, लोहरदग्गा/वेथेस्दा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जी०ई०एल० वर्च कम्पाउण्ड, राँची/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयगुल्वा सीतागढ़, हजारीबाग/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम/डायट, गम्हरिया सराय केला-खरसाँवा/डायट, रातू राँची/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बुण्डू राँची/महिला प्राथमिक शिक्षा शिक्षा महाविद्यालय (डाल्टेनगंज) मेदनीनगर पलामू/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सिमडेगा कुरडेग रोड सिमडेगा/ प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रेहला पलामू/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सतबरवा, पलामू को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/5/04

(कुलवन्त सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखण्ड, राँची।